(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा प्रमाण है कि बम्बई हवाई अड्डे पर भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने विमान के यात्रियो की तलाशी लेने में असावधानी दिखाई ; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) जी हां। *28 सितम्बर, 1977 को* आपान एयरलाईंस के एक विमान (उड़ान सं० जे०एल०-472) का बम्बई के सांताक्रूज हवाई अड्डे से रवाना होने के तुरंत बाद अपहरण कर लिया गया था।

(ख) मामले की अभी जाच की जा रही है।

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले विशिष्ट उपायो को प्रकट करना लोकहित मे नही होगा। तथापि, अपहरण से सुरक्षा संबंधी ऐसे वर्तमान उपायों को पहले ही कड़ा कर दिया गया है, जैसे परिचालन क्षेत्रों के प्रवेश स्थलों का नियंत्रण, यात्रियो की शारीरिक तलाशी तथा उनके हाथ के सामान की छानबीन, बोर्डिंग काडो पर स्टैम्प लगाने मे अधिक सावधानी एवं चौगिर्दी परिसीमा (perimeters) की पर्याप्त सुरक्षा आदि।

दुबई स्थित तस्करो द्वारा आत्म-समर्पण करने का प्रस्ताव

*96. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुबई में कुछ बड़े तस्करों ने भारत सरकार के समक्ष कुछ शर्तों के साथ आत्मसमर्पण करने और भविष्य में तस्करी न करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन तस्करों की क्या शर्तें हैं ; और

(ग) उन शर्तों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख). दुबाई में बसे कुछ तस्करो ने, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध जारी किये गये नजरबदी के आदेशो को उनके इस वचन के आधार पर वापस लेने का निवेदन किया है कि वे भविष्य मे प्रतिकूल कार्यकलापो मे भाग नही लेगे और अदालत मे चलायी गयी इस्तगासे की कार्यवाही का सामना करेगे।

(ग) सरकार मामले की जांच कर रही है।

Hijacking of Indian tea shipments

*97. SHRI D. G. GAWAI: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether Indian tea shipments worth an estimate of Rs. 1.50 crores have been virtually 'hijacked' at Aden and diverted to South Asia;

(b) whether this tea consignment has since been recovered by Singapore Police from warehouses in suburban areas of Singapore;

(c) the facts thereof and the names of the parties which have been put to loss due to hijacked tea; and

(d) the assistance being provided by Government to the interested parties to get their claims settled soon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL): (a) and (b). 632 tonnes of Indian tea worth about Rs. 1.28 crores were shipped in steamer "Twilight" in early July 77 for Sudan Tea Company, a Government organisation in Sudan. The steamer after leaving the Indian shore was heading for Aden on its way to Sudan, but subsequently changed its course and reached Singapore sometime in the end of July 77. It is not known whether the steamer was orally 'hijacked' but according to the reports available, the owners of the steamer had purchased the ship on instalment basis and because of their non-payment of instalments, the ship was "arrested" on arrival at Singapore under an order of the Singapore High Court. According to the reports available from the shippers, out of 632 tonnes of tea shipped, about 420 tonnes have been recovered by the Singapore Police. Part of this was recovered from Private Warehouses and the balance from the ship.

(c) The following exporters had shipped their teas in the said steamer:

1. M/s. Madhu Jayanti Pvt. Ltd.

2. M/s. Tea Land.

3. M/s. Associated Tea Enterprises.

4 M/s. Steward and Dholakia Pvt. Ltd.

5. M/s. Tara Agencies.

6. M/s Mahavir Plantations Pvt. Ltd.

7. M/s. Tata Finlay Ltd.

(d) The exporters and their bankers are in direct contact with the buyer and the Sudanese Insurance Co., who had insured the tea, and they are trying to resolve their problems. Tea Board and the Indian Embassy, Khartoum are also in touch with the Sudanese authorities including Sudan Tea Company to resolve the matter.

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा मांगी गई सहायता

*99. श्री रामनरेश कुशवाहा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और क्या ; और

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार की मांग पर केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता की ओर संकेत करते हुए योजना आयोग से अनुरोध किया कि योजना आयोग के मार्ग-दर्शन में एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की जाए जिससे कि राज्य सरकार को आयोजना के संबंध में उपलब्ध उच्चकोटी की जानकारी मिल सके और एक सही नीति तथा विभिन्न व्यवहारिक कार्य-क्रम तैयार किए जा सकें और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा में सुधारें लाने के काम की शुरुआत की जा सके ?